भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.336
उत्तर देने की तारीख 28 नवम्बर 2024

फर्जी 'इनकमिंग कॉल्स' रोकथाम प्रणाली

336. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फर्जी 'इनकमिंग कॉल्स' रोकथाम प्रणाली द्वारा यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि वास्तविक कॉल को गलती से ब्लॉक न किया जाए तथा इस हेतु क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;
(ख) वास्तविक ग्राहकों के केंद्रीकृत डेटाबेस को कब-कब अद्यतन किया जाता है तथा इसकी सटीकता बनाए रखने के लिए क्या प्रक्रिया-विधियां हैं;
(ग) क्या ऐसे ग्राहकों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिनकी वास्तविक कॉल ब्लॉक की गई हैं तथा इसके बारे में आम लोगों को कैसे सूचित किया जाता है; और
(घ) फर्जी तथा वास्तविक कॉल के बीच प्रभावी अंतर सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के कार्य-निष्पादन की निगरानी कैसे की जाती है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क): अंतरराष्ट्रीय आउट रोमिंग ग्राहकों की वास्तविक कॉलों को सिस्टम द्वारा अनुमति दी जाती है, क्योंकि सिस्टम वास्तविक ग्राहकों की हैश्ड और एन्क्रिप्टेड रूप में रिपोजिटरी बनाए रखता है।

(ख): केंद्रीकृत रिपोजिटरी को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा लगभग वास्तविक समय में अद्यतन किया जाता है, जिससे इसकी सटीकता भी सुनिश्चित होती है।

(ग): इस मामले से संबंधित कोई भी शिकायत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सामान्य शिकायत निवारण प्रणाली जैसे वेबसाइट, टोल-फ्री नंबर और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।

(घ): फर्जी और वास्तविक कॉलों का पता लगाने के लिए, ऐसी कॉलों का डेटा नियमित रूप से एकत्र किया जाता है और उसकी गहन निगरानी की जाती है।

*****